न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी—उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 84/2020
दायर दिनांक : 20.10.2020

अनवान

1. जगदीश पिता पोखर गुर्जर निवासी मोहनपुरा तहसील माण्डलगढ़।
2. रामचन्द्र पिता पोखर गुर्जर निवासी मोहनपुरा तहसील माण्डलगढ़।
3. रामलाल पिता पोखर गुर्जर निवासी मोहनपुरा तहसील माण्डलगढ़।
4. रामसुख पिता पोखर गुर्जर निवासी मोहनपुरा तहसील माण्डलगढ़।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. काना पिता सांवता गुर्जर निवासी मोहनपुरा तहसील माण्डलगढ़।
2. शंकर पिता सांवता गुर्जर निवासी मोहनपुरा तहसील माण्डलगढ़।
3. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक माण्डलगढ़।
4. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा माण्डलगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

—अप्रार्थीगण

उपस्थित :—

1. श्री सजंय चौहान (अधिवक्ता प्रार्थीगण)
2. श्री अनिल पारीक (अधिवक्ता अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251—ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—: निर्णय :—

दिनांक : 16.08.2021

प्रार्थनापत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251—ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मोहनपुरा पटवार हल्का जालिया मे स्थित भूमि आराजी संख्या 160 पर पैदल सज बैल ट्रेक्टर से आने जाने का रास्ता मोहनपुरा से नन्दराय जाने वाली सड़क से लगते हुये विपक्षीगण की सड़क के समीप आराजी नम्बर 186 बिलानाम काबिलकाश्त, आराजी नम्बर 410/160 जो कि विपक्षीगण की भूमि है। आराजी नम्बर 160 पर पहुँचने के लिए आराजी नम्बर 186 बिलानाम काबिल काश्त भूमि व आराजी नम्बर 410/160 की दक्षिणी मेड़ से करीब 15 से 20 फीट चौड़ा रास्ता मौजूद है। उक्त रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण निरन्तर करते चले आ रहे है। लेकिन इस वर्ष विपक्षीगण द्वारा उक्त रास्ते को बन्द कर दिया। उक्त रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड मे अंकित किया जाना आवश्यक एव न्याय संगत है। प्रार्थीगण नियमानुसार डी.एल.सी. दर जमा कराने को तैयार है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 410/160, 186 की दक्षिणी मेड के सहारे सहारे आगे बढ़कर में से 30 फीट चौड़ा रास्ता घोषित किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

दिनांक 17.02.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.आर.पी.सी. के तहत प्रार्थीगण अधिवक्ता की और से प्रार्थना पत्र पेश किया गया। उपरोक्त अनवानी प्रकरण न्यायालय श्रीमान मे विचाराधीन होकर वास्ते बहस [illegible] हेतु नियत है। प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र में सेवन से अनुतोष मे आराजी नम्बर 410/160 [illegible] सही आराजी नम्बर 411/160 है जो एक लिपिकीय भूल [illegible] है कि प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी नम्बर 410/160 के स्थान पर आराजी नम्बर 411/160 संशोधित किये जाने की कृपा करावें।

दिनांक 17.02.2021 को विपक्षीगण की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया कि कलम संख्या 1 में प्रार्थी द्वारा काश्तकारी अधिनियम का विवरण किया है व 2 में प्रार्थीगण का नाम व पता अंकित किया है। कलम नम्बर 3 में भूमि का विवरण किया गया है एवं कलम संख्या 4 में विपक्षी की भूमि का विवरण किया है। एवं आगे विपक्षीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.09.29 17:35:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...त पते का विवरण किया है। प्रार्थी स्वयं सिद्ध करावें। कलम संख्या 4 की उपचरण में जो अंकित है वह गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने जिस रास्ते का विवरण किया है वह मौके पर नही होकर प्रार्थी का रास्ता नही है। तथा जिस आराजी 410/160 का विवरण किया है वह भूमि 410/160 विपक्षी की भूमि नही है विपक्षी की भूमि 411/160 है। प्रार्थीगण के आनेजाने का वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। जिसमें प्रार्थीगण ने विपक्षी गणों को पक्षकार नही बनाया है। प्रार्थीगण की भूमि जाने के लिए विपक्षीगण जबरन रास्ता कायम करना चाहते है जिससे विपक्षी की भूमि दो भागो में बट जाती है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सव्यय खारीज फरमावें।

दिनांक 19.02.2021 को विपक्षीगण की ओर से प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 151 जा.दि.पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण न्यायालय श्रीमान के यहा विचारधीन होकर पत्रावली आज नियत है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी 160 में पहुचने हेतु रास्ता मांगा गया है जो विपक्षी की आ.ना. 411/160 में मांगा गया परन्तु विपक्षी की आराजी में रास्ता नही होकर प्रार्थी कभी यहा निकले भी नही है ओर ना ही यहा रास्ता है प्रार्थीगण जबरन विपक्षीगण की भूमि में रास्ता कायम करना चाहते है। कि प्रार्थीगण के भुमि आ.न. 160 में पहुचने के लिये रेकार्डेड रास्ता 132 में आकर प्रार्थीगण बिलानाम आ.न. 158 में मेर के सहारे सहारे अपनी आराजी में पहुचते है उक्त वैकल्पिक रास्ता प.ह. बीगोद द्वारा अपने मौका रेकार्ड में भी दर्शाया गया है तथा प्रार्थीगण प्रारम्भ से ही उसी रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अगर प्रार्थी की आराजी संख्या 411/160 से रास्ता दिलाया जाता है तो उक्त रास्ता करीब 162 मीटर लम्बा बनता है अगर वहा रास्ता कायम किया गया तो 162 मीटर भूमि चोपट हो जायेगी प्रार्थी को 162 मीटर लम्बा अपनी भूमि के दिबार बनानी पडेगी जिसमें काफी खर्चा आयेगा तथा प्रार्थीगण को अदालत रास्ता दिलाती है तो प्रार्थीगण की भूमि विपक्षीगण से सटती हुयी है ऐसी स्थिति मे विपक्षी को 10 बिस्वा भूमि प्रार्थी से दिलाया जाना आवश्यक एवम न्याय संगत है।अतः श्रीमान से निवेदन है कि विपक्षी प्रार्थी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र रेकार्ड पर लिया जाकर उचित न्याय दिलाया जावे।

दिनांक 28.12.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ के पत्र क्रमांक कोर्ट/2020/2863 दिनांक 18.12.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम मोहनपुरा पटवार हल्का जालिया की आराजी संख्या 160 पर पहुंचने के लिये विपक्षीगण के आराजी संख्या 411/160 व 186 में से 20 फीट चौड़ा रास्ते हेतु मांग किया है। प्रार्थीगण की आराजी 160 पर पहुँचने के लिए अप्रार्थी की आराजी नम्बर 411/160 व 186 में 20 फीट चौड़े रास्ते हेतु मांग किया है। प्रार्थी के आराजी पर पहुंचने के लिये मांगा गया रास्ता से आराजी नम्बर 158, 460/177 व 158 से होकर निकाला रास्ता लघुतम है। परन्तु आराजी नम्बर 460/177 के दो टुकड़े होकर उक्त खातेदार को पक्षकार नही बनाया है।उक्त आराजी पर पहुँचने के लिए सरकारी तथा अन्य रास्ता नही है। भूमि पर पहुँचने के लिए अप्रार्थी के खाते की भूमि आराजी नम्बर 411/160 व 186 में 13 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग में ली जायेगी। रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली 13 बिस्वा भूमि का उपयोग होगा जिसमें खातेदारी हक 10 बिस्वा व बिलानाम भूमि में भूमि का वैकल्पिक रास्ता हेतु उपयोग होगा जिसकी की वर्तमान डी.एल.सी. दर 78818 रूपये प्रति बीघा सिंचित से खातेदारी भूमि का 39408 व बिलानाम भूमि का 11823 रूपये खातेदारी में दुगुनी दर 78878 रूपये व बिलानाम का 23647 रू. कुल 102465 रू. बनती है। पक्षकार के जरिये सूचनापत्र के सूचित किया गया। प्रतिवादी शंकर काना पिता सांवता गुजर उपस्थित है तथा हस्ताक्षर से मना कर दिया है।

पत्रावली पेश हुई। ह[illegible] किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076–7[illegible] सम्वत 2076–2020 दिनांक 28.12.2020 को तहसीलदार माण्डल[illegible] किया। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा अपनी रिपोर्ट में अ[illegible] करवाया गया [illegible] र्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए आराजी नम्बर 411/160 व 186 से प्रार्थी निकलते [illegible] प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए उनके द्वारा मांगा गया रास्ता लघुतम है। विपक्षी [illegible] खाते की 13 बिस्वा भूमि का उपयोग होगा जिसमें खातेदारी हक में भूमि का वैकल्पिक रास्ते उपयोग हेतु ली जावेगी। जिसकी डी.एल.सी. दर 78818 रूपये प्रति बीघा सिंचित से खातेदारी भूमि का 39408 रूपये व बिलानाम भूमि का 11823 रू. दुगुनी दर में खातेदारी का 78878 रूपये व बिलानाम का 23647

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.09.29 17:35:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कुल 102465 रू. बनती है। उक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं संशोधित अधिसूचना नम्बर F 3(2) rev.6/03/pt./7 दिनांक 02.03.2012 नियम 70 (1)(।।) () के अनुसरण में ग्राम मोहनपुरा पटवार हल्का जालिया तहसील माण्डलगढ़ के आराजी संख्या 160 पर पहुंचने के लिये विपक्षी की ग्राम मोहनपुरा पटवार हल्का जालिया की आराजी संख्या 411/160 व 186 में से 13 बिस्वा भूमि का उपयोग होगा जिसमें खातेदारी हक में भूमि का वैकल्पिक रास्ते उपयोग हेतु ली जावेगी। विपक्षी के आराजियात में से रास्ता हेतु उक्त भूमि की डी.एल.सी. दर 78818 रूपये प्रति बीघा सिंचित से खातेदारी भूमि का 39408 व बिलानाम भूमि का 11823 रू. बनती है। दुगुनी दर में खातेदारी का 78878 रू. व बिलानाम भूमि का 23647 रूपये कुल 102465 रू. बनती है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को अदा किये जाने पर एवं अप्रार्थी द्वारा इन्कार किये जाने की स्थिति में राजकोष में मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा करवाने पर गै. मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता रहेगा। तहसीलदार माण्डलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन करावें।

आदेश आज दिनांक 16.08.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.09.29 17:35:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner